भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 772

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बाल विवाह

772. श्री बी. के. पार्थसारथी:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में आई उस रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विश्व में होने वाले सभी बाल विवाहों में से लगभग एक-तिहाई भारत में होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बाल-विवाह से प्रभावित महिलाओं की आंध्र प्रदेश में जिला-वार सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा देश में बाल विवाहों को रोकने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी पहलों और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में रोके गए बाल विवाहों की राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ड.) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे कि महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) जो नाबालिगों की मंगनी के विरूद्ध निर्धारित है, के अनुरूप बाल विवाह निवारण अधिनियम में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क), (ख) और (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006' के तहत पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या पर डेटा संकलित और अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में प्रकाशित करता है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2022 तक अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्ध है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार,

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, (पीसीएमए), 2006' के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 785, 1050 और 1002 है। हालांकि, जरूरी नहीं कि मामलों की अधिक रिपोर्टिंग बाल विवाह के मामलों की संख्या में वृद्धि को दर्शाती हो, लेकिन ऐसा सरकार की पहल और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कानून के बेहतर प्रवर्तन के कारण नागरिकों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए बढ़ती जागरूकता के कारण हो सकता है। वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान पीसीएमए, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत बाल विवाह का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने तथा बाल विवाह से जुड़े लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' (पीसीएमए) अधिनियमित किया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) की धारा 16 राज्य सरकार को पूरे राज्य अथवा उसके ऐसे भाग के लिए, जैसा निर्दिष्ट किया जाए, एक अधिकारी अथवा अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है, जिन्हें 'बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)' के रूप में जाना जाता है, जिनका क्षेत्राधिकार अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों तक होगा। यह धारा सीएमपीओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करती है जिनमें ऐसी कार्रवाई करके बाल विवाह को रोकना शामिल है, जिसे वे उचित समझें; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना; व्यक्तियों अथवा स्थानीय निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, सहायता करने, सहायता करने अथवा अनुमति देने में संलिप्त न होने की सलाह देना; बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना; तथा बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना। ये प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए, इस अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन उनके अधीन है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान और आउटरीच कार्यक्रम चलाती है और इस प्रथा के बुरे प्रभावों को उजागर करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी करती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएमपीओ की संख्या बढ़ाने के लिए भी लिखा है क्योंकि स्थानीय स्तर पर वैधानिक अधिकारी की मौजूदगी से इस विषय पर और भी अधिक प्रभावी सार्वजनिक जुड़ाव होता है और बाल विवाह की रोकथाम होती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'मिशन शक्ति' अम्ब्रेला योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) घटक को कार्यान्वित करता है जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों

पर जागरूकता पैदा करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भी इस संबंध में समय-समय पर हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श करता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने शॉर्ट कोड 1098 वाले चाइल्डलाइन की शुरुआत की है, जो संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक 24X7X365 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है जो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उपयुक्त पहल के साथ प्रतिक्रिया करती है जिसकी किसी बच्चे को पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ), जिला बाल संरक्षण इकाइयों आदि के समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम सहित आवश्यकता होती है। 24x7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया और सेवाएं प्रदान करने के लिए चाइल्डलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27.11.2024 को नई दिल्ली में 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान का शुभारंभ किया। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग और रोकथाम में सहयोग करने के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल नागरिकों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।

(ङ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******

अनुलग्नक

'बाल विवाह' के संबंध में श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 772 के भाग (क), (ख) एवं (घ) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान पीसीएमए, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत बाल विवाह का राज्यवार विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
		घटनाओं/मामलों की संख्या	घटनाओं/मामलों की संख्या	घटनाओं/मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	32	19	26
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	138	155	163
4	बिहार	5	11	13
5	छत्तीसगढ	1	0	0
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	15	12	9
8	हरियाणा	33	33	37
9	हिमाचल प्रदेश	5	5	4
10	झारखंड	3	4	5
11	कर्नाटक	184	273	215
12	केरल	8	12	6
13	मध्य प्रदेश	5	4	7
14	महाराष्ट्र	50	82	99
15	मणिपुर	0	2	1
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	24	64	46
20	पंजाब	13	8	4
21	राजस्थान	3	11	10
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	77	169	155
24	तेलंगाना	60	57	53
25	त्रिपुरा	4	1	2
26	उत्तर प्रदेश	12	6	17
27	उत्तराखंड	9	12	6

28	पश्चिम बंगाल	98	105	121
	राज्यों का योग	**779**	**1045**	**999**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव+	0	0	0
32	दिल्ली	4	2	1
33	जम्मू और कश्मीर*	1	2	2
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	0	1	0
	संघ राज्य क्षेत्रों का योग	**6**	**5**	**3**
	योग (अखिल भारत)	**785**	**1050**	**1002**

स्रोत: भारत में अपराध

*****